तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी
4.5.18	पत्रावली पेश हुई विपक्षी उमाशंकर उपस्थित प्रकरण को लोक अदालत की अवधि में निस्तारण होने हेतु आदेश से लोक अदालत केन्द्र डीडायच के दिन 15-6-18 को पेश है।	
15-6-18	पत्रावली न्याय आपके द्वार केन्द्र डीडायच में पेश हुई उमाशंकर उपस्थित लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण नहीं है। एक पक्षीय निगरानी शिविर चौकड़ा के लिए 30-6-18 को पेश है।	
30.6.18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के अन्तर्गत लोक अदालत कैम्प कोर्ट चौकड़ा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामकेश मीना ने निवेदन किया की लगभग एक वर्ष से अधिक समय से पत्रावली विचाराधीन है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा भी वकालतनामा प्रस्तुत किये हुए तीन माह से अधिक समय होगया है इसलिए उनका अवकाश बंद कर पत्रावली निर्णित कर दी जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा विवादित अराजियात वर्ष 1997 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र क्रय की थी लेकिन इस विक्रयपत्र का अमल रिकॉर्ड में नहीं हो पाया एवं वर्तमान रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण विक्रेता के वारिसान का नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में विवादित अराजियात अप्रार्थीगण के नाम होने से वे इसको रहन विक्रय कर सकते है। और इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि ग्राम डीडायच स्थित खसरा सं. 713, 714, 715 कुल रिका 03 रकबा 1.35 हैक्टेयर की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति ता फैसला बाद बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो दफ्ती से खत्म हो।	

Scanned by CamScanner